—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक – 08.06.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के गंभीर चोट पहुँचाने का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में, थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के गंभीर चोट पहुँचाने का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 08.11.2009 को थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत निवासी राम प्रसाद पुत्र बच्चन द्वारा लिखित तहरीर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-774/09 धारा 324/504 भादवि व 3(1) sc/st Act. बनाम अजीत प्रताप सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी रवागाजीपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर पंजीकृत किया गया था। थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप धारा 324 भादवि का अपराध कारित करने का दोषी पाया गया। आरोपी को दिनांक 08.06.2022 को मा0न्यायालय स्पेशल(J) st/sc Act. मीरजापुर द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

अजीत प्रताप सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी रवागाजीपुर थाना अहरौरा जनपद।